



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 ज्येष्ठ, 1944 (श०)

संख्या - 243 राँची, मंगलवार,

24 मई, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

13 मई, 2022

संख्या-13/शक्ति प्र०-01/2022 का०-3060--जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक- 80 दिनांक- 11.05.2022 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में, उक्त पत्र के साथ अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित, त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 के लिये पीठासीन पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त 617 एवं प्रथम मतदान पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त 617 पदाधिकारियों/कर्मचारियों को, संगत निर्वाचन क्षेत्र के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-21 के तहत यह अधिसूचना उन्हें Communicate किये जाने की तिथि से उक्त निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक की अवधि के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

संख्या-13/शक्ति प्र०-01/2022 का०-3061--जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक- 38 दिनांक- 11.05.2022 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में, उक्त पत्र के साथ अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित, त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 के लिये पीठासीन पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त 188 पदाधिकारियों/कर्मचारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-21 के तहत यह अधिसूचना उन्हें Communicate किये जाने की तिथि से उक्त निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक की अवधि के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है ।

संख्या-13/शक्ति प्र०-01/2022 का०-3062--जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक- 37 दिनांक- 11.05.2022 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में, उक्त पत्र के साथ अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित, त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 के लिये सेक्टर दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त 29 पदाधिकारियों/कर्मचारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-21 के तहत यह अधिसूचना उन्हें Communicate किये जाने की तिथि से उक्त निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक की अवधि के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मो० जियाऊल अंसारी,
सरकार के अवर सचिव ।
